अनुदान संख्या 65 - अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
GRANT No. 65–MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	535,33,00	535,37,00	259,19,37	–276,17,63
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				273,56,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	70,05,00	75,05,00	44,70,01	–30,34,99
पूरक	Supplementary	5,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,35,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services		1388.00	1199.18	–188.82
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00	..	..	..
पु.	R.	–6000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2810'' अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत	Major Head "2810" Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	45069.00			
पू.	S.	1.00	23872.41	23841.44	–30.97
पु.	R.	–21197.59			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	923.00			
पू.	S.	1.00	843.50	840.14	–3.36
पु.	R.	–80.50			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	153.00			
पू.	S.	1.00	26.09	5.09	–21.00
पु.	R.	–127.91			

(I) 7737.00 लाख रु. का प्रावधान (अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7400.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 6000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2810'' -

(I) Provision of Rs.7737.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2005) remained wholly unutilised under eighteen heads; of these Rs.7400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –"Other Expenditure-Provision for projects/schemes for North Eastern Areas" – Rs. 6000.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(B) Major Head "2810" -

(क) ''पवन - अनुसंधान और विकास - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता'' - 300.00 लाख रु. अनुसंधान और विकास के लिए प्रर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''अन्य - अन्य व्यय'' -

(i) ''राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान'' - 600.00 लाख रु. मंत्रिमंडल द्वारा पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ii) ''महिला और नवीकरणीय ऊर्जा विकास'' - 500.00 लाख रु. महिला विशिष्ट कार्यक्रम के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय'' के अंतर्गत 126.31 लाख रु. की बचत (1163.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरे कम किए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जैव ऊर्जा'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास'' -

(i) ''बायोगैस विकास के लिए सहायता'' - 480.33 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान संगठनों से नई परियोजनाएं प्राप्त न होने कारण हुई।

(ii) ''बायोमास कार्यक्रम को सहायता'' - 163.60 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''बायोमास'' -

(i) ''अकेले अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीफायर'' - 277.21 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों

(a) "Wind – Research and Development – Assistance to Wind Power Generation Programme"- Rs.300.00 lakhs – due to non-receipt of sufficient proposals for Research and Development.

(b) "Others - Other Expenditure" –

(i) "National Institute of Renewable Energy"– Rs.600.00 lakhs - due to non-approval for increasing capital outlay by the Cabinet.

(ii) "Women and Renewable Energy Development"- Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of women specific programme.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Non-Conventional Energy Sources" - saving of Rs.126.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1163.00 lakhs) was due to lesser foreign tours and less claims of leave travel concession.

(III) Under Major Head "2810" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Bio-Energy" –

(a) "Research and Development"-

(i) "Assistance for Biogas Development"- saving of Rs.480.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of new projects from research organisations.

(ii) "Assistance to Biomass Programme" – saving of Rs.163.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies.

(b) "Biomass" –

(i) "Biomass Gasifier for Stand Alone Application"– saving of Rs.277.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non- receipt

से आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''बायोमास सहउत्पादन एवं दहन'' - 1050.02 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''सौर'' -

(क) ''सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम'' -

(i) ''सौर ऊर्जा केंद्र'' - 221.73 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: निविदा जारी किए जाने की वजह से सौर फोटोवोल्टीय परीक्षण सुविधा के लिए बड़े क्षेत्र के सूर्य सिमुलेटर की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''अनुसंधान और विकास'' - 179.56 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय द्वारा अनुसंधान और विकास नीतितैयार न किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''निदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोग और बाजार विकास'' - 2309.00 लाख रु. की बचत (4750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विलंबित प्रशासनिक अनुमोदन के कारण हुई।

(ख) ''फोटोवोल्टीय - अनुसंधान और विकास'' - 473.99 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाएं स्वीकृत न किए जाने और कुछ परियोजनाओं की समीक्षा लंबित रखे जाने के कारण हुई।

(गा) ''पवन'' -

(क) ''निदर्शन - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता''- 300.00 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समग्र रूप से केरल और मध्य प्रदेश राज्यों से निदर्शन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावों के परिपक्व न होने के कारण हुई।

of sufficient proposals for subsidy from the implementing agencies.

(ii) "Biomass Co-generation and Combustion" – saving of Rs.1050.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to delay in commissioning of few projects.

(B) "Solar" -

(a) "Solar Thermal Energy Programme" –

(i) "Solar Energy Centre"- saving of Rs.221.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to non- purchase of a Large Area Sun Simulator for Solar Photovoltaic Test Facility owing to re-tendering.

(ii) "Research and Development" – saving of Rs.179.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-formulation of Research and Development policy by the Ministry.

(iii) "Demonstration, Technology Utilisation and Market Development"-saving of Rs. 2309.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4750.00 lakhs) was due to delayed administrative approval.

(b) "Photovoltaic - Research and Development" – saving of Rs.473.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects and pending review of few projects.

(C) "Wind"-

(a) "Demonstration - Assistance to Wind Power Generation Programme" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to non-maturing of proposals under demonstration project from the States of Kerala and Madhya Pradesh in totality.

(ख) ''पवन ऊर्जा केंद्र - पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र को सहायता'' - 400.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से दो मुख्य प्रायोगिक पवन फार्म स्थापित न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Wind Energy Centre - Assistance to Centre for Wind Energy Technology" - saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-setting up of two major Experimental Wind Farms owing to administrative reasons.

(घा) ''अन्य'' -

(D) "Others"-

(क) ''शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा'' -

(a) "Energy from Urban and Agricultural Waste"-

(i) ''शहरी/नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 765.41 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी और नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने संबंधी परियोजनाओं के संबंध में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण हुई।

(i) "Energy from Urban/Municipal Waste" - saving of Rs.765.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to restriction for providing subsidy in respect of projects for reviving of energy from Urban and Municipal Waste.

(ii) ''औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 338.98 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाएं शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) "Energy from Industrial Waste"- saving of Rs. 338.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to delay in commissioning of few projects.

(ख) ''ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(b) "Other Sources of Energy"-

(i) ''ऊर्जा के रासायनिक स्रोत'' - 750.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(i) "Chemical Sources of Energy" - saving of Rs.750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 800.00 lakhs); and

(ii) ''हाइड्रोजन ऊर्जा'' - 625.72 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "Hydrogen Energy"- saving of Rs.625.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा सड़क मानचित्र को देर से अंतिम रूप दिए जाने की वजह से परिकल्पित परियोजनाएं तैयार न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-evolving of envisaged projects owing to late finalisation of the National Hydrogen Energy Road Map (NHERM).

(iii) ''सड़क परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन'' - 216.93 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्राप्त न होने और राज्य नोडीय अभिकरणों से बैटरीचालित वाहनों के निदर्शन संबंधी परियोजनाओं के अपर्याप्त संख्या में होने के कारण हुई।

(iii) "Alternative Fuel for Surface Transportation" – saving of Rs.216.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-receipt of Research and Development projects and insufficient number of projects for demonstration of battery operated vehicles from the State Nodal Agencies.

(iv) ''सड़क परिवहन के लिए जैव ईंधन'' - 200.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रही चार जैव-इंधन प्रायोगिक निदर्शन परियोजनाओं के शुरू किए जाने में विलंब होने की वजह से इन परियोजनाओं से अपेक्षित फील्ड आंकड़े तैयार न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य'' - 120.63 लाख रु. की बचत (184.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय के माध्यम से आसिआन सचिवालय की पुष्टि न किए जाने की वजह से कार्यशाला आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''सूचना और प्रचार कार्यक्रम'' - 1541.37 लाख रु. की बचत (3580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरणों से अधिक ब्योरे प्राप्त न होने की वजह से कम राशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''विशेष क्षेत्र परियोजना'' - 2010.38 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा निदर्शन केंद्र के सृजन से संबंधित ऊर्जा पार्क स्कीम के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(iii) ''ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 10856.82 लाख रु. की बचत (15500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकरण न किए गए गांवों की सूची तैयार किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जैव ऊर्जा - राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत 389.62 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सौर फोटो वोल्टीय - फोटोवोल्टीय'' के अंतर्गत 134.91 लाख रु. की बचत (140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(iv) "Bio-Fuels for Surface Transportation"- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non generation of requisite field data from the ongoing four Bio-Fuels Pilot Demonstration Projects owing to delay in their commissioning.

(c) "International Co-operation - Others"- saving of Rs.120.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.184.00 lakhs) was due non-organising of workshop owing to non-confirmation of ASEAN Secretariat through Ministry of External Affairs.

(d) "Other Expenditure"-

(i) "Information and Publicity Programme"- saving of Rs.1541.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3580.00 lakhs) was due to less release for want of more details from State Nodal Agencies.

(ii) "Special Area Project"- saving of Rs.2010.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-materialisation of Energy Park Scheme for creation of the National Renewable Energy Demonstration Centre.

(iii) "Village Electrification Programme" – saving of Rs.10856.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15500.00 lakhs) was due to delay in preperation of list of unelectrified villages under Rural Electrification Programme.

(IV) Under Major Head "3601"-"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Bio-Energy-National Programme for Biogas Development"- saving of Rs.389.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Solar Photovoltaic - Photovoltaic"- saving of Rs.134.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र और व्यय का विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुईं।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 147.14 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3865.03 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष "2810" -

(क) "जैव-ऊर्जा - राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम - बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना" -1719.46 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1717.68 लाख रु. था।

(ख) "सौर - फोटोवोल्टीय - एसपीवी पंप कार्यक्रम" - 316.44 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 313.20 लाख रु. था।

(ग) "अन्य - ऊर्जा के अन्य स्रोत - लघु पन बिजली विकास" - 1499.13 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1498.36 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम - निगरानी" - 330.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 328.76 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2810" - "सौर - फोटोवोल्टीय - निदर्शन और प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 308.21 लाख रु. का अधिक व्यय (2350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Savings under the above two heads were due to non-submission of utilisation certificates and statement of expenditure by the State/Union Territory Governments.

(VI) Under two heads savings of Rs.147.14 lakhs occurred, each exceeding of Rs.50.00 lakhs and constituting 28 percent and 42 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3865.03 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in August, 2005 and March, 2006 under the following major heads:-

(A) Major Head "2810" -

(a) "Bio-Energy - National Programme for Biogas Development - National Project on Biogas Development" - Rs.1719.46 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1717.68 lakhs.

(b) "Solar - Photovoltaic - SPV Pump Programme" - Rs.316.44 lakhs. Actual excess, however, was Rs.313.20 lakhs.

(c) "Others - Other Sources of Energy - Small Hydro Power Development" - Rs.1499.13 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1498.36 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Integrated Rural Energy Planning Programme - Monitoring" - Rs.330.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.328.76 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2810" –"Solar - Phtovoltaic-Demonstration and Technology"- excess of Rs.308.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2350.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्ष के अंतर्गत 160.17 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. कम और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 281 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.160.17 lakhs occurred, each exceeding of Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 47 percent and 281 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (3034.99 लाख रु.) दिसम्बर, 2005 में प्राप्त किए गए 500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (3035.00 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.3034.99 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.500.00 lakhs obtained in December, 2005 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.3035.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4810" अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4810" Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	5005.00			
पू.	S.	500.00	2470.00	2470.01	+0.01
पु.	R.	–3035.00			

(I) ''सौर - सौर ऊर्जा केंद्र'' के अंतर्गत 5.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 505.00 लाख रु. कर दिया गया जो, यद्यपि, विधि मंत्रालय द्वारा परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण 499.99 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Solar - Solar Energy Centre" - the original provision of Rs.5.00 lakhs was augmented to Rs.505.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.499.99 lakhs - due to delay in clearance of project by the Ministry of Law.

(II) ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण'' के अंतर्गत 2535.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की प्राधिकृत शेयर पूंजी के संशोधन संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Investment in Public Sector and Other Undertakings–Indian Renewable Energy Development Agency"- saving of Rs.2535.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for revising authorised share capital of Indian Renewable Energy Development Agency by the Cabinet.